न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-489/2026

सी0 एन0 आर0 संख्या-UPBP010011722026

(रजिस्टर संख्या-345/2026)

मोहम्मद अकरम खान प्रति उ0प्र0 राज्य

UPBP010011722026

मुकदम अपराध संख्या-05/2026
धारा-319(2),318(4),338,336(3)
भारतीय न्याय संहिता व 66 डी० आई०टी०
एक्ट थाना-साइबर क्राइम जनपद-बलरामपुर

05.05.2026

पत्रावली पेश हुई। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थनापत्र 9ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदक उक्त प्रकरण में कथित अभियुक्त है। आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक कतिपय कारणों से उक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना चाहता है। अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिए जाने की अनुमति चाही गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वयं प्रार्थनापत्र 9ख प्रस्तुत करके जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिए जाने का कथन किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र 9ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रार्थनापत्र 9ख स्वीकार किया जाता है।

जमानत प्रार्थनापत्र 3क पर बल न देने की अनुमति दी जाती है।

तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र 3क बल न दिए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।